न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1530/2004/अलवर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर।

.....**अपीलांट**

बनाम

1- रामफल पुत्र भूपसिंह,
2- करतार पुत्र रामपत,
3- रोहिताश पुत्र सूरजा,
4- शादीलाल पुत्र सूरजा,
5- समय पुत्र चिरंजी समस्त जाति अहीरान निवासीगण कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

..... रैस्पोडेंटस

खण्ड पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः-
(1) श्रीमती पूनम माथुर अति0 राजकीय अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री अयूब खान, अधिवक्ता रैस्पोडेंट ।

निर्णय

दिनांक : 02 जुलाई, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-12-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26-3-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 107/03 शीर्षक रामफल बनाम राज्य सरकार स्वीकार की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0 नं0 390 रकबा 3-01 बीघा का 9 बिस्वा, साबिक ख0 नं0 391 रकबा 4-19 बीघा का 2 बिस्वा वाके ग्राम

कतोपुर का कुल 11 बिस्वा रकबा हाल ख0 नं0 587 रकबा 27–08 बीघा से मिलकर उसे गलत प्रकार से सिवायचक गैर मुमकिन नदी दर्ज कर दिया जबकि यह भूमि हमारे पूर्वजों की खातेदारी की थी जिसे दुरूस्त किया जाकर खातेदारी दर्ज की जावें। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब करते हुए दिनांक 26–3–2003 को वादीगण का वाद खारिज कर लिया जिसकी प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के पेश होने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–12–2003 से अपीलांट की अपील स्वीकार कर ली जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 16–12–2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण ने अपना वादी अपीलीय न्यायालय में सिद्ध नहीं करवाया तथा न ही उसने पूर्व का रेकार्ड एवं मिलान क्षेत्रफल ही प्रस्तुत किया जिससे यह साबित हो कि पूर्व में वादग्रस्त आराजी उसके नाम पर थी जो गलती से सिवायचक दर्ज कर दी । अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से वादी का वाद खारिज किया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वाद को डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है। धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के किसी भी सार्वजनिक उपयोग एवं नदी नाले पर किसी भी प्रकार की खातेदारी नहीं मिल सकती है। वादी/रेस्पो0 ने अपने वाद को परीक्षण न्यायालय में साबित नहीं करवाया और धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकते हैं फिर भी अपीलीय न्यायालय ने वादी के वाद को डिक्री किया है जो धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। वादी/रेस्पो0 अपने पूर्वजों की वादग्रस्त आराजी बताते आ रहे हैं लेकिन उनके निधन होने के बाद ना तो उन्होंने अपना नामान्तकरण खुलवाया और ना ही उनका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है जिसे सही प्रकार से अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेचित कर वादी का वाद खारिज किया था तथा अपीलीय न्यायालय ने उक्त वाद को डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें तथा विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल रखा जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोर्डेट का तर्क है कि वादीगण विवादित आराजी के काबिज काश्तकार खातेदार हैं परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत् 2009 में उक्त आराजी साबिक ख0 नं0 390 व 391 को हाल ख0 नं0 587 में सिवायचक गैर मुमकिन नदी दर्ज कर दिया जो बिला अधिकार है और गलत है। अपीलीय न्यायालय द्धारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, वह विधिसम्मत एवं कानून सम्मत है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जावें।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत अपील में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि वादीगण का राजस्व रेकार्ड में नाम ही नहीं है और ना ही वादीगण सम्पूर्ण रेकार्ड पेश कर पाये हैं। वादीगण द्धारा विरासत का नामान्तकरण अपने नाम क्यों नहीं खुलवाया गया, स्पष्ट नहीं किया गया है। वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में नहीं होने तथा प्रथम दृष्ट्या मामला विरासत का नामान्तकरण होने के कारण वादी का वाद विचारण न्यायालय द्धारा खारिज किया गया है।

7– अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–12–2003 में अंकित किया कि अपीलांट की 11 बिस्वा भूमि हाल खसरा नम्बर 587 रकबा 27–08 बीघा किस्म गैर मुमकिन नदी में शामिल कर दी गई है जिसको भू–प्रबन्ध विभाग द्धारा शामिल किया जाना गैर कानूनी है। इसलिए भू–प्रबन्ध विभाग द्धारा की गई गलत प्रविष्ठियों को कलमजन किया जाकर दुरूस्त किये जाने तथा विवादित आराजीयात के खातेदार अपीलांट को घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्ट/वादीगण ने पूर्व राजस्व रेकार्ड एवं मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया जिसे यह सिद्ध होता हो कि पूर्व में वादग्रस्त आराजी उसके नाम पर थी। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत सार्वजनिक उपयोग एवं नदी, नालों पर किसी प्रकार से खातेदारी नहीं मिल सकती है। इसलिए अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं माना जा सकता और अपीलांट की अपील काबिल स्वीकार योग्य होने से अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने एवं परीक्षण न्यायालय का निर्णय यथावत पाया जाता है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–12–2003 अपास्त की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम द्धारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–3–2003 बहाल रखी जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य